01

प्रेस नोट दिनांक 21-09-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने थाना-कोतवाली कपिलवस्तु व थाना मोहाना का औचक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर आमजनमानस में सुरक्षा का सन्देश दिया गया।

दिनांक 20-09-2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना-कोतवाली कपिलवस्तु का औचक निरीक्षण कर प्रभारी थाना-कोतवाली कपिलवस्तु को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। निरीक्षण के पश्चात् भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर आमजनमानस में सुरक्षा का सन्देश दिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना मोहाना का औचक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया एंव महोदय द्वारा थाना-कोतवाली कपिलवस्तु व थाना मोहाना में निरीक्षण के दौरान गाड़ियों के बेतरतीब खड़ी रहने पर सही ढंग से खड़ी करने एवं भोजनालय की समुचित साफ-सफाई हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया तत्पश्चात थाना-कोतवाली कपिलवस्तु व थाना मोहाना पर नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्या एवं कुशलक्षेम से अवगत हुये, महोदय द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों को सजगता, सतर्कता एंव समर्पण भाव से ड्यूटी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा थाने के विभिन्न अभिलेखों/रजिस्टरों का निरीक्षण गहनता से किया गया एवं अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टरों को पूर्ण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना-कोतवाली कपिलवस्तु व थाना मोहाना को निर्देशित किया गया।

02

प्रेस नोट दिनांक 21-09-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांकः- 21-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 145 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 57 वाहनों का चालान कर ₹ 41,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

03

प्रेस नोट दिनांक 21-09-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चिल्हिया पुलिस बल द्वारा दिनांक 20.09.2020 को सहदेव यादव पुत्र रामानंद यादव ग्राम सेमरा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर व अरशद अहमद पुत्र जमीर ग्राम बजहा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर परईया पुल पर अवैध रूप से 2 बोरी मटर कुल 1 कुंटल तथा मोटरसाइकिल यूपी 55 एक्स 4774 पर लादकर नेपाल राष्ट्र में बिक्री हेतु अवैध तस्करी के रूप में ले जा रहा था जिसे धारा 11 कस्टम अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करके कस्टम अधीक्षक ककरहवा सिद्धार्थनगर को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01- उपनिरीक्षक श्री रवि कांत मणि थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02- कांस्टेबल रामायनधर दुबे थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

#siddharthnagpol @Uppolice @AdgGkr @digbasti @dmsid1 @cdosid1